

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- ६३१ / FP/UK/ROAD/10518/2015 देहरादून: दिनांक: ३१ अगस्त, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:—जनपद—अल्मोड़ा में हरड़ा—भिकियासैण मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। FP/UK/ROAD/10518/2015

सन्दर्भ:— भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 17-02-2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 17-02-2020 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड से प्राप्त आख्या प्रेषित की जा रही है।

SR.No	EDS	REPLY
1	In reply point 2 shape of SoI toposheet and digital map still not matching.	मोटर मार्ग का डिजिटल मानचित्र एंव टोपोशीट मानचित्र में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करवाकर मानचित्रों को पार्ट I के Section C (iii)(iv) आनलाईन कर दिये गये हैं।
2	In reply to point NO 03 of the officer letter dt 14-11-2018, the correcton in reply to Gov may do the needful in this regard.	पूर्व में लगाई गयी आपत्ति संख्या 3 का 14.11.2018 बिन्दु संख्या 6,12,17 जो इससे पूर्व 1.03.2018 को लगाई गई है। जो निम्नवत् है। (6):— क्षतिपूरक डिजिटल मानचित्र व टोपोशीट मानचित्र का मिलान कर मानचित्रों को पार्ट I के additional information में अपलोड कर दिया गया है। (12):— सिविल सोयम राज्य भूमि में पातन होने वाले वृक्षों व वन पंचायत भूमि में पातन होने वाले वृक्षों की सूची पुनः पार्ट I के additional information में अपलोड कर दिया गया है। (17):— वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा दी गयी संस्तुति पार्ट III वन संरक्षक स्तर से आनलाईन की जाती है। जो पार्ट III के additional information में अपलोड कर दिया गया है।
3	In reply to point NO 04 Site inspection of the CA area is done by the Forest, Guard. which is not acceptable. State Govt may submit the inspection report of CA area done by DFO.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग का क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का पुनः दिनांक 11.01.2019 को वन विभाग राजस्व विभाग तथा लो०नि०वि० के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसके उपरान्त ही प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पुनः अवगत कराया गया है कि चयनित स्थल झाड़ीनुमा एंव रिक्त है। जो कि सी०ए० हेतु सर्वथा उपर्युक्त है।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०ज०क० शमी) ३१/८/२०

अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी